****Diagram

Description automatically generated with low confidence**नेपाल सरकार**

**वन तथा वातावरण मन्त्रालय**

**राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग**

**बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय**

**ओभरी, बाँके**

नागरिक बडापत्र

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र. सं.** | **कार्यालयबाट पाउने सेवा सुविधा** | **लाग्ने समय** | **किसिम** | | **लाग्ने दस्तुर नेपाली रुपैया** | | | | | | **समयमा सेवा प्राप्त नभएमा सम्पर्क राख्ने पदाधिकारी व्यक्ति** |
| नेपाली | | | सार्क | अन्य विदेशी | |
| १. | निकुञ्ज प्रवेश अनुमति | १५ मिनेट | प्रति व्यक्ति प्रति दिन | | १०० | | | ७५० | १५०० | | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
| २. | हात्ती सफारी अनुमति | १५ मिनेट | प्रति व्यक्ति प्रति दिन | | ५०० | | | १५०० | २५०० | | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
| ३. | सवारी साधन प्रवेश अनुमति राजमार्ग बाहेक सुविधा प्राप्त बाटोको लागि | | | | | | | | | | |
|  | कार, जिप, ट्रक, बस, ट्याक्टर, लरी (५ टन सम्म) को लागि | १५ मिनेट | प्रति सवारी प्रति पटक | | १०० | | | | | | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
|  | मोटरसाईकल बयलगाडा र टाँगा | १५ मिनेट | प्रति सवारी प्रति पटक | | २० | | | | | | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
|  | व्यवसायिक जंगल ड्राईभ अनुमति | |  | |  | | | | | |  |
|  | कार | १५ मिनेट | प्रति सवारी प्रति पटक | | १५०० | | | | | | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
|  | जीप | १५ मिनेट | प्रति सवारी प्रति पटक | | २५०० | | | | | | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
|  | भ्यान | १५ मिनेट | प्रति सवारी प्रति पटक | | ३००० | | | | | | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
|  | सुविधा प्राप्त बाटो बाहेक अन्य बाटोको लागि मोटर इन्जिन जान भएको सवारी साधनको लागि अनुमति | १५ मिनेट | प्रति सवारी प्रति पटक | | ३०० | | | | | | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
| ४. | क्याम्पिङ्ग (बास बस्ने) अनुमति | १५ मिनेट | प्रति व्यक्ति प्रति रात | | २०० | | | ५०० | | १००० | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
| ५. | माछा मार्ने (बल्छीले मात्र) अनुमति | १५ मिनेट | प्रति व्यक्ति प्रति रात | | २०० | | | १००० | | २००० | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
| ६. | खर खडाई, वनकस काट्ने अनुमति | १५ मिनेट | प्रति पुर्जी | | ५० | | | नपाउने | | नपाउने | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
| ७. | फुर्की च्याउ टिप्ने अनुमति | १५ मिनेट | प्रति के जी | | १०० | | | नपाउने | | नपाउने | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
| (नोट : असार एक गते देखि भदौ मसान्तसम्म संरक्षकले तोकेको क्षेत्रमा एक पटक भन्दा बढीमा सात दिन खुल्ला गर्ने गरी बर्षमा दुई पटक) | | | | | | | | | |
| ८. | नदिजन्य निर्माण सामाग्रीको लागि अनुमति | | | | | | | | | | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
|  | साधारण ढुंगा | सोही दिन | प्रति घनमिटर | | ३५३।२ | | | नपाउने | | नपाउने | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
|  | गिट्टी | सोही दिन | प्रति घनमिटर | | ३१७।९ | | | नपाउने | | नपाउने | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
|  | वालुवा | सोही दिन | प्रति घनमिटर | | २४७।२ | | | नपाउने | | नपाउने | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
|  | मस्कट, बोल्डर, ग्रावेल, सेल, कङलोमररेट | सोही दिन | प्रति घनमिटर | | ३१७।९ | | | नपाउने | | नपाउने | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
| ९. | हेलिकप्टर अवतरण / Hovering समेत गर्ने अनुमति | | प्रत्येक पटक | | ५००० | | | | | | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
| १०. | सिनेमा डकुमेन्ट्री छाँयाङ्कन अनुमति | सोही दिन | प्रत्येक पटक | | १०००० | | ५०००० | | यु एस डलर १५०० बराबरको नेपाली रुपैया | | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
|  | ड्रोनबाट सिनेमा डकुमेन्ट्री फिल्म छाँयाङ्कन गर्दा यसको अतिरिक्त थप २५ प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ । साथै छाँयमङ्कन टोलीका साथ विभागले एकजना सम्पर्क अधिकारी खटाउने छ । डकुम्न्ट्री बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि ड्रोनको प्रयोग गर्दा प्रचलित प्रकृया पुरा गरेपछि सिनेमा डकुमेन्ट्री फिल्म छाँयाङ्कनको लागि तोकीएको दस्तुर लाग्नेछ । | | | | | | | | | |
| ११. | निकुञ्ज भित्र वा निकुञ्जको नदी नालामा पर्यटक घुमाउन डुंगा र्याफ्टीङ बोटिङ्ग चलाउने अनुमति | | | | | | | | | |  |
|  | क डुंगामा घुम्ने दस्तुर | १५ मिनेट | | प्रति व्यक्ति प्रति ट्रिप | | २०० | | १५०० | | २००० | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
|  | ख ¥ofफ्टीङ्ग | १५ मिनेट | | प्रति व्यक्ति प्रति ट्रिप | | २०० | | २००० | | ४००० | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
|  | ग बोटिङ्ग | १५ मिनेट | | प्रति व्यक्ति प्रति ट्रिप | | २०० | | ४००० | | ८००० | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |